बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, तिथि–19-9-22

संख्या–7 / स्था0–04–05 / 2022 सा0प्र0वि0 6020 / भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सिविल कोर्ट (व्यवहार न्यायालय) में अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती पद्धति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण एवं अन्य सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2022

अध्याय –1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

1.(i) यह नियमावली "बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण एवं अन्य सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2022" कही जाएगी ।

.(ii) यह पटना उच्च न्यायालय के अधीनस्थ बिहार राज्य के सभी व्यवहार न्यायालय में लागू होगी।

.(iii) यह बिहार सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. परिभाषा :–

इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

.(i) **"अपीलीय प्राधिकार"** से अभिप्रेत है उच्च न्यायालय की स्थायी समिति;

.(ii) **"नियुक्ति"** से अभिप्रेत है समूह "ख" एव समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती अथवा सीमित परीक्षा द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा चयन, जिसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति शामिल है;

.(iii) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है जिला न्यायाधीश;

.(iv) **"समुचित मामले"** से अभिप्रेत है, ऐसे मामले जो स्थायी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए है;

.(v) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत अधिकारी एवं कर्मचारी का सेवा बल;

.(vi) **"केन्द्रीयकृत समिति"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के नियम 6.(i) के अधीन गठित केन्द्रीकृत चयन एवं नियुक्ति समिति एवं क्षेत्रीय समिति से अभिप्रेत है नियम 6.(ii) के अधीन गठित समिति;

.(vii) **''मुख्य न्यायाधीश''** से अभिप्रेत है उच्च न्यायालय पटना के मुख्य न्यायाधीश;

(viii) **''सिविल कोर्ट''** से अभिप्रेत है, उच्च न्यायालय पटना के अधीनस्थ सिविल/फौजदारी न्यायालय;

.(ix) **''अनुशासनिक प्राधिकार''** से अभिप्रेत है नियुक्ति प्रधिकार;

.(x) **''जिला''** से अभिप्रेत है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और बंगाल, आगरा एवं असम सिविल कोर्ट अधिनियम, 1887 के अधीन पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा स्थापित न्यायिक जिला;

.(xi) **''जिला न्यायाधीश''** से अभिप्रेत है, संबंधित जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश;

.(xii) **''कर्मचारी''** से अभिप्रेत है, अनुसूची 'क' में पूर्णतः वर्णित पदाधिकारी एवं कर्मचारी की कोटि;

.(xiii) **''पूर्ण पीठ''** से अभिप्रेत है, पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ;

.(xiv) **''सरकार''** से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;

.(xv) **''उच्च न्यायालय ''या'' पटना उच्च न्यायालय''** से अभिप्रेत है, उच्च न्यायालय, पटना;

.(xvi) **''अधिकारी''** से अभिप्रेत है, अनुसूची ''क'' के समूह ''ख'' में शामिल पदाधिकारीयों की कोटि;

.(xvii) **''विहित''** से अभिप्रेत है, इस नियमावली द्वारा विहित;

.(xviii) **''पुनर्विलोकन प्राधिकार** से अभ्रिपेत है, स्थायी समिति;

.(xix) **''अनुसूची''** से अभिप्रेत है, अनुसूची जो इस नियमावली का भाग है;

.(xx) **''कौशल परीक्षण''** से अभिप्रेत है, केन्द्रीकृत समिति द्वारा समय–समय पर कार्य की प्रकृति के अनुसार यथा विहित परीक्षण;

.(xxi) **''कर्मचारी''** से अभिप्रेत है, अनुसची ''क'' के समुह ''ग'' में शामिल कर्मी;

.(xxii) **''स्टाफिंग पैटर्न''** से अभिप्रेत है, अनुसूची ''ख'' के परिशिष्ट ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' में शामिल सभी पद;

.(xxiii) **''स्थायी समिति''** से अभिप्रेत है, पटना उच्च न्यायालय नियमावली के अध्याय–I के अर्न्तगत गठित पटना उच्च न्यायालय की स्थायी समिति।

अध्याय –II

स्थापना

3. राज्य के सिविल कोर्ट और अनुमंडलीय सिविल कोर्ट के प्रशासन के लिए इस नियमावली की आरंभ की तिथि से एक बिहार राज्य सिविल कोर्ट स्थापना सेवा प्रवृत्त होगी।

4. (i) अनुसूची ''क'' के सभी पद जिला संवर्ग के होंगे।

(ii) वैसे व्यक्ति जिनकी नियमित नियुक्ति इस नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व, स्टाफिंग पैटर्न में विर्निदिष्ट किसी पद पर हुई हो, वे इस नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप उस सेवा संवर्ग में नियुक्त समझे जाँएगे।

अध्याय –III

नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्त्तें

5 (i) स्टाफिंग पैटर्न में यथा विनिर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्ति की पात्रता हेतू किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्त्तें पूरी करनी होंगी :–

(क) भारत का नागरिक हो

(ख) स्वास्थ की दृष्टि से उपयुक्त हो,

(ग) अच्छा चरित्र हो

(घ) अनुसूची ''क'' में यथाविहित, आवश्यक अर्हताएँ एवं अनुभव एवं आयु वर्ग में हो

(ii) नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की पात्रता से संबंधित कोई संदेह उत्पन्न होने पर केन्द्रीकृत समिति का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय –IV

चयन, भर्त्ती एवं नियुक्ति की पद्धति

6. **समिति का गठन** (i) सीधी नियुक्ति अथवा सभी पक्षों पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ ''केन्द्रीकृत चयन और नियुक्ति समिति'' नामक उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक केन्द्रीयकृत समिति होगी।

नियुक्ति हेतू राज्य को सात (07) क्षेत्रों पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण (छपरा) एवं पूर्णिया में विभाजित किया जाएगा।

इन क्षेत्रों में निम्नलिखित न्यायमंडल शामिल होंगे।

(क) पटना क्षेत्र – पटना, नालन्दा, रोहतास, कैमूर, भोजपूर, बक्सर।

(ख) गया क्षेत्र – गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा।

(ग) भागलपुर क्षेत्र – भागलपुर, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, बाँका।

(घ) मुजफ्फरपुर क्षेत्र – मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, शिवहर

(ड़) दरभंगा क्षेत्र – दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय

(च) सारण (छपरा) क्षेत्र– सारण, सिवान एवं गोपलगंज

(छ) पूर्णिया क्षेत्र – पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, सुपौल

व्याख्या :– वर्त्तमान में किसी न्यायमंडल से भविष्य में कोई न्यायमंडल बनाया जाता है, तो वह उसी क्षेत्र में रहेगा, जिस न्यायमंडल से उसका निर्माण हुआ है।

(ii) उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्र में, एक क्षेत्रीय समिति का गठन उस विशेष क्षेत्र के सभी न्यायमंडल के सभी जिला एवं सत्र न्यायधीशों से मिलाकर किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र के वरिष्ठतम जिला एवं सत्र न्यायाधीश उस क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष होंगे।

(iii) प्रत्येक क्षेत्र के चयन समिति के अध्यक्ष को मिलाकर एक केन्दीकृत समिति बनाया जाएगा, जिसमे संयोजक जिला न्यायाधीश पटना होंगे।

(iv) केन्द्रीयकृत समिति की सहायात हेतु क्षेत्रीय समितियाँ द्वारा सुयोग्य एवं उचित पदाधिकारियों व कर्मचारियों से मिलाकर समय–समय पर उच्च न्यायालय के अनुमोदन से एक भर्ती कोषांग बनाया जाएगा।

(v) उपखण्ड (iv) में किसी तथ्य के होने के बावजूद कर्मचारियों के नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय समिति, लिखित परीक्षाओं, कौशल या अन्य के लिए ख्याति प्राप्त चयन अभिकरण की सहायता ले सकती है।

6.क **अनुकंपा के आधार पर नियुक्तिः–I.** प्रत्येक न्यायमंडल में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए जिला एवं सत्र् न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन न्यायिक पदाधिकारियों की एक समिति होगी।

II. माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं स्वीकृति के आलोक में बिहार सरकार के नियम एवं दिशा–निर्देश के अनुसार ये नियुक्ति की जायेंगी।

III. संबंधित साल के दौरान **समूह 'सी'** पद में उत्पन्न हुई रिक्तियों की सिर्फ 5 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्येक साल अनुकंपा के आधार पर अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

यदि उचित मामलों में नियम 6क(I) के अधीन समिति की अनुशंसा पर माननीय मुख्य न्यायाधीश स्वविवेकानुसार मृतक कर्मचारी के परिवार की निर्धनता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संबंधित रिक्तियों की 10 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक नियुक्ति का निर्देश दे सकते हैं।

IV. अधिकतम सीमा से अधिक योग्य अभ्यर्थी (जिसके अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है), जिनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती, को नियुक्ति के बदले 5 लाख रूपया की अनुग्रह राशि दी जायेगी।

V. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के इच्छुक **समूह 'सी'** पदों पर अभ्यर्थी अनुसूची 'क' में वर्णित योग्यता, उम्र एवं नियोजन की पद्वति की पुष्टि करेंगे। इस नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र कर्मचारी के मृत्यु के दो साल के अंदर अवश्य जमा करना होगा, जो की आवेदन–पत्र दाखिल करने की तिथि से तीन साल के लिए मान्य होगा। एक बार रद्द किये गये आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. (i) केन्द्रीयकृत समिति इस नियमावली की अनुसूची ''क'' में यथाविहित परीक्षा/समिति परीक्षा, कौशल परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षा इत्यादि आयोजित करेगी।

(ii) केन्द्रीकृत समिति अनुसूची ''क'' में यथाविहित साक्षात्कार और अन्य परीक्षण भी आयोजीत करेगी।

(iii) केन्द्रीकृत समिति, साक्षात्कार के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय के अनुमोदन से साक्षात्कार के संचालन हेतु एक या अधिक साक्षात्कार बोर्ड गठित कर सकेगी।

8. **चयन की पद्धति** :–भर्ती के लिए संभावित समय तालिका अनुसूची ''ड़'' में विहित है तथा केन्द्रीकृत समिति यथासंभव इसका पालन करेगी।

(i) प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में जिला न्यायाधीश विद्यमान रिक्तियों के साथ–साथ उसी वर्ष के अंत तक होने वाली रिक्तियों को विनिश्चित करेगा और केन्द्रीकृत समिति को सभी पदो के लिए ऐसी सूची भेजेगा।

(ii) केन्द्रीकृत समिति, सीधी नियुक्ति के लिए उपलब्ध सभी रिक्त पदो के बारे में सभी न्यायमंडलों से जानकारी प्राप्त करने के बाद रिक्तियों को कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक बिहार के जिलों में व्यापक परिचालन वाले हिन्दी समाचार पत्र में तथा सभी सिविल कोर्ट, अनुमंडल सिविल कोर्ट तथा समाहरणालय के सूचना पट्ट पर केन्द्रीकृत समिति द्वारा यथाविहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापित करेगी;

परन्तु यह कि केन्द्रीकृत समिति, आवश्यकता पड़ने पर केवल एकल न्यायमंडल अथवा न्यायमंडल समूह के लिए पदों को विज्ञापित कर सकेगी।

(iii) **शुल्क** :– पदो के किसी कोटि में सीधी भर्ती के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से ऐसी शुल्क के भुगतान की अपेक्षा की जा सकेगी, जो केन्द्रीकृत समिति द्वारा प्रत्येक पद के संबंध में विहित की जाए।

परन्तु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसचित जन जाति और शारीरिक रूप से निःशक्त कोटि के अभ्यर्थियों से उस पद के लिए यथा विहित शुल्क की आधी शुल्क के भुगतान की अपेक्षा की जाएगी।

(iv) केन्द्रीकृत समिति, उच्च न्यायालय के पूर्वानुमोदन से, लिखित जाँच, कौशल परीक्षा, दक्षता परीक्षा, आशुलिपि जाँच एवं साक्षात्कार तथा अनुसूची–'क' में विनिर्दिष्ट एवं विहित अन्य जाँच जो कि नियुक्ति/प्रोन्नति से भरी जाने वाले पदों से संबंधित हो, आयोजित करेगी।

परन्तु यह कि प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो जाने की स्थिति में, अंतिम परीक्षा में प्रत्याशियों की संख्या को कम करने के लिए केन्द्रीकृत समिति वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधरित केन्द्रीकृत समिति द्वारा निर्णीत किसी अन्य पद्धति से एक प्रारंभिक जाँच आयोजित कर सकता है तथा वैसी स्थिति में केन्द्रीकृत समिति अंतिम परीक्षा के लिए प्रत्याशियों का चयन 1:10 के अनुपात में कर सकती है।

(v) पाठ्यक्रम एवं अन्य आवश्यक विवरणी, प्रारंभिक एवं लिखित परीक्षा की पद्धति एवं परीक्षा संचालन से संबधित कोई अन्य मामला, परीक्षकों के नाम निर्देशन सहित, उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर अधिसूचित दिशा निर्देशों के अनुसार होगी।

(vi) आदेशिका तामीलकर्त्ता (Process Server) के पद पर नियुक्ति हेतु केन्द्रीयकृत समिति अनुसूची–'क' में यथा विहित लिखित परीक्षा, एवं कोई अन्य परीक्षा एवं साक्षात्कार, आयोजित करेगा तथा चयन की पद्धति अनुसूची ''घ'' के अनुसार होगी।

(vii) एक बार संबंधित पद हेतु लिखित परीक्षा सम्पन्न हो जाने पर प्रतयाशियों की उत्तर पुस्तिकाओं को सीलबंद कर दिया जाएगा तथा मूल्यांकन की संपूर्ण गोपनीयाता बनाए रखने के लिए, भर्त्ती कोषांग, मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से उच्च न्यायालय द्वारा नामित पर्यवेक्षकों के पास भेजने के पूर्व, कोडिंग के उद्देश्य से नामित निबंधक अथवा कोई अन्य वरीय अधिकारी जो मुख्य न्यायाधीश के पूर्वानुमोदन से केन्द्रीकृत समिति के निर्देश से अधिकृत हो, के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में प्रत्याशियों की उत्तर पुस्तिकाओं के कूटबद्ध (coding) करने की प्रक्रिया को अपनाएगा।

(viii) लिखित परीक्षा की मेधा सूची उच्च न्यायालय एवं पटना सिविल कोर्ट की वेबसाईट तथा दोंनों के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाएगा तथा जहाँ भी प्रयोज्य हो, उक्त परीक्षा के बाद यथावश्यक दक्षता जाँच आयोजित किया जाएगा।

(ix) लिखित जाँच एवं दक्षता जाँच के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं तद्नुसार प्रत्याशियों को यथा संभव 1:3 के अनुपाल में साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।

(x) साक्षात्कार एक समिति द्वारा ली जाएगी जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से केन्द्रीयकृत समिति द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र के वरीयतम जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी।

परन्तु यह कि यदि केन्द्रीकृत समिति उचित समझो तो साक्षात्कार लेने हेतु मुख्य न्यायाधीश के पूर्वानुमोदन से दो अथवा तीन वरीयतम न्यायाधीशों को नामित कर सकती है।

(xi) दक्षता आधारित पदो के लिए विशेषज्ञता संबंधी प्रमाण पत्र यथा बागवानी, पाक कला, सिलाई, बढ़ईगिरी, विधुत विशेषज्ञ (बिजली मिस्त्री), इलेक्ट्रोनिक्स इत्यादि, धारक व्यक्ति को चयन में अधिमानता दी जाएगी।

(xii) सभी पदो के लिए निम्नतम अर्हतांक 40 % (प्रतिशत) होगा जो कि आरक्षित कोटि के प्रत्याशियों के लिए 5 % (प्रतिशत) शिथिलता देने के अध्याधीन होगा।

परन्तु यह कि मुख्य न्यायाधीश के पूर्वानुमोदन से केन्द्रीकृत समिति को किसी भी पद के लिए प्रत्याशियों द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किए जाने वाले निम्नतम अंक को निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(xiii) लिखित, दक्षता अथवा कोई अन्य जाँच एवं साक्षात्कार सहित चयन की प्रक्रिया के पूर्ण होने पर, मुख्य न्यायाधीश के पूर्वानुमोदन से केन्द्रीकृत समिति द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर तैयार किए गए परीक्षाफल को अधिसूचित किया जाएगा जो राज्य सरकार के आरक्षण नीति के अनुरूप होगा। इस प्रकार की सूची दो भागों में तेयार की जाएगी। एक भाग संबंधित वर्ष में भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या तथा दूसरा भाग आगले मेधा क्रम के अनुसार ऐसी रिक्तियों का 20 % (प्रतिशत) होगा जो कि प्रतीक्षा सूची के रूप में जाना जाएगा। ऐसी सूची अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी।

. प्रतीक्षा सूची के प्रत्याशी आवेदित पद पर नियुक्ति के हकदार तभी होंगे तब कि निश्चित अवधि के अंदर कोई सफल प्रत्याशी उस पद पर योगदान नहीं करे।

9. सूची के अधिसूचना के उपरान्त मुख्य न्यायाधीश के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीकृत समिति, नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष सफल प्रत्याशियों के नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु अनुशंसा करेगी।

10. योगदान का समय :– (i) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्याशी पुरूश/स्त्री, अपने–अपने पद पर यथाशीघ्र योगदान करेगा/करेगी लेकिन नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के बाद योगदान की अनुमति नहीं होगी;

परन्तु यह कि प्रत्याशी द्वारा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर केन्द्रीकृत समिति योगदान की अवधि आगे 30 दिनों तक विस्तारित कर सकती है। यद्यपि यदि कोई चयनित उम्मीदवार उक्त 30 दिनों की विनिर्दष्ट तिथि अथवा विस्तारित अवधि के अंदर योगदान करने में असफल रहता है तो उसको/उसकी नियुक्ति पत्र स्वतः निरस्त हो जाएगी।

(ii) उम्मीदवार के योगदान करने के पूर्व, नियुक्ति प्राधिकार अथवा इस प्रयोजन हेतु अधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी निम्नलिखित की जाँच करेगाः–

(क) उम्मीदवार का मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण पत्र जिसके आधार पर उसका नियुक्ति पत्र निगर्त हुआ है।

(ख) उम्मीदवार द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में उसका फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं हस्तलेखन।

(ग) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अथवा मैट्रीकुलेशन/दसवीं उत्तीर्ण किसी अन्य प्रमाण पत्र में उम्मीदवार की जन्म तिथि।

(घ) चिकित्सा स्वस्थता (Medical fitness) प्रमाण पत्र परंतु यह कि जिस मामले में मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित संस्थान/माध्यम से किया जाना अपेक्षित हो वहाँ ऐसे उम्मीदवार के योगदान को औपबंधिक रूप में स्वीकार किया जाएगा तथा वह उक्त प्रमाण पत्र के सही असली एवं प्रामाणिक पाए जाने के अध्याधीन होगा।

11. परिवीक्षा एवं संपुष्टि :– (i) सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली सभी स्थायी नियुक्तियाँ, नियुक्ति/योगदान की तिथि से दो वर्ष के अंदर–तक परिवीक्षाधीन रहेगी तथा दो वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी करने के उपरान्त ही संपुष्टि के लिए विचारणीय होगी;

परंतु यह कि यदि परिवीक्षा की अवधि के अंदर उम्मीदवार का कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाय, तो नियुक्ति प्राधिकार केन्द्रीकृत समिति एवं मुख्य न्यायाधीश के पूर्वानुमोदन से, उसके परिवीक्षा की अवधि को आगे एक वर्ष तक विस्तारित कर सकती है तथा उसके बावजूद परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के अंत तक उसका कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में उसे बिना सूचना के सेवा से हटा दिया जाएगा।

(ii) किसी भी उम्मीदवार की सेवा संपुष्टि तब तक नहीं होगी जब तक कि वह विहित परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक रूप में पूरा नहीं कर ले।

(iii) परिवीक्षा की अवधि में किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकार को उम्मीदवार के असंतोषजनक कार्य एवं/अथवा व्यवहार के आधार पर उसकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।

(iv) पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा संपुष्टि संबंधी आदेश संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा पारित किए जाएँगे।

12. **आरक्षण** :– राज्य सरकार (समान्य प्रशासन विभाग) द्वारा लागू आरक्षण संबंधी नियम (समयानुसार संशोधित) ही न्यायालय कर्मियों के नियुक्ति/ प्रोन्नति में लागू होंगे।

13. **वरीयता :–** (i) पदाधिकारियों/कर्मचारियों की एक सामान्य वरीयता सूची होगी/सीधी भर्ती से /नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की आपसी वरीयता मेधा सूची में उनके स्थान के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(ii) एक ही कलेंडर वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में उम्मीदवारों की आपसी वरीयता निम्नतर संवर्ग में रहेगी।

(iii) सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति प्राप्त उम्मीदवारों के बीच आपसी वरीयता एक ही कलेंडर वर्ष में प्रोन्नति द्वारा एवं सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति होने पर प्रोन्नति प्राप्त उम्मीदवार वरीय होंगे।

14. **प्रोन्नति :–** (i) एक कर्मचारी अनुसूची 'ग' में विहित अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति पाने का हकदार होगा।

(ii) प्रोन्नति संबंधी सभी मामले जिसमें चयन के द्वारा अथवा रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (Modified Assured Career Progression) के माध्यम से हो, केन्द्रीकृत समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएँगे। केन्द्रीकृत समिति इस प्रयोजन से समय समय पर दिशा निर्देश जारी करेगी।

(क) विहित कालावधि के पूरा कर चुका हो,

(ख) अनुसूची 'क' के अनुसार प्रोन्नति के पद हेतु विहित अर्हता धारण करता हो,

(ग) सेवा का स्वच्छ एवं संतोषजनक उपलब्धि धारण करता हो,

(घ) समय समय पर विहित विभागीय/दक्षता जाँच /साक्षात्कार/कंप्युटर साक्षरता जाँच में उत्तीणता हासिल किया हो

(iv) (क) उपरोक्त के बावजूद, एक न्यायालय प्रवाचक–सह–बयान लेखक–सह टंकक को उच्चत्तर वेतनमान में प्रोन्नति पाने से पूर्व अनिवार्य रूप से टंकण में अंग्रेजी में प्रति मिनट 50 शब्द एवं हिंदी में प्रति मिनट 35 शब्द की गति प्राप्ति करनी होगी। उसे (पुरूष/स्त्री) केन्द्रीकृत समिति द्वारा विहित अन्य मापदंडो को भी पूरा करना होगा।

(ख) उसे (पुरूष/स्त्री) व्यवहार एवं प्रक्रिया, सिविल कोर्ट नियमावली, आपराधिक न्यायालय नियमावली की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करना होगा।

(v) (क) एक आशुलिपिक के उच्चतर पद पर प्रोन्नति पर विचार के लिए उसे आशुटंकण जाँच की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना होगा तथा अंग्रेजी में प्रति मिनट 80 शब्द एवं हिंदी में प्रति मिनट 60 शब्द की गति (5 % (प्रतिशत) अशुद्धता में शिथिलता के साथ) हासिल करना होगा।

(ख) उसे उच्च न्यायालय द्वारा विहित व्यवहार एवं प्रक्रियाहस्तक (Manual) अथवा कोई अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा।

(vi) वर्ग–III अथवा समकक्ष पद के लिपिक को, वर्ग–II में प्रोन्नति अथवा वित्तिय उन्ययन के विचारार्थ उसके/उसकी मेधा की जाँच के लिए निम्नलिखित की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा :–

क. सिलिव कोर्ट एवं क्रिमिनल कोर्ट नियमावली (Rules)

ख. प्रारूप, पत्राचार एवं आदेश फलक लेखन

ग. व्यवहार एवं प्रक्रिया

घ. लेखा, लेखा संवर्ग के मामले में लेखा खाता–बही लेखन

एवं बजट तैयार करना

(vii) वर्ग–II के लिपिक को सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी (न्यायिक) एवं (स्थापना) में प्रोन्नति/चयन होने के विचार्राथ निम्नलिखित परीक्षा में उत्तीण होना होगा :–

(i) व्यवहार एवं प्रक्रिया

(ii) सरकारी पत्र एवं परिपत्र

(iii) मुद्रांक (स्टाम्प) अधिनियम

(iv) वाद मूल्यांकन अधिनियम

(v) पत्राचार टिप्पणी एवं प्रारूप

(vi) न्यायालय शुल्क अधिनियम

(viii) उपरोक्त परीक्षाएँ केन्द्रीकृत समिति द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाएँगी। इस हेतु प्रक्रिया एवं पद्धति का निर्णय केन्द्रीयकृत समिति द्वारा ली जाएगी तथा समय समय पर इसे अधिसूचित किया जाएगा।

(ix) <u>सु0वृ0उ0(ACP)/रू0सु0वृ0उ0(MACP)</u> :– पदाधिकारी/कर्मचारी सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन /(ACP) के हकदार होंगे। बिहार सरकार द्वारा /बनाई गई सु0वृ0उ0(ACP)/रू0सु0वृ0उ0(MACP) इससे संबंधित दावों में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

15. <u>अनुसूची–क में विहित पदाधिकारियों/कर्मचारियों की प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति</u>

(i) समूह–ख के सभी पद विहित तरीके से प्रोन्नति के द्वारा भरे जाएँगे।

(ii) एक उम्मीदवार सेवा में उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति तक नही पा सकता जब तक कि वह उच्च न्यायालय द्वारा विहित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाता।

(iii) अनुसचिवीय स्थापना में निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में नियुक्ति वरीयता के आधार पर होनी चाहिए, बशर्ते की संबंधित कर्मचारी इन नियमावली अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि में विहित शैक्षणित एवं अन्य अर्हता धारण करता हो तथा उस पद से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन करने के योग्य हो तथा इस नियमावली में विहित जाँच में उत्तीर्णता हासिल किया हो।

(iv) वरीय न्यायालय सहायक/ प्रोग्रामर (Programmer)/पुस्तकालयाध्यक्ष/ सहायक पुस्ताकालयध्यक्ष/ उच्च वर्गीय लिपिक एवं बेलिफ जैसे समूह 'ग' के पद विहित तरीके से प्रोन्नति के द्वारा भरे जाएँगे।

(v) न्यायालय सहायक/कार्यालय सहायक/वर्ग–I एवं II के अन्य लिपिक/उच्च वर्गीय लिपिक के स्वीकृत 25 % पद पर नियुक्ति प्रत्येक वर्ष चयन के द्वारा की जाएगी जो कि मुख्य न्यायाधीश के पूर्वानुमोदन से तथा केन्द्रीयकृत समिति द्वारा विहित तरीके से सुयोग्य उम्मीदवार के चयन हेतु आयोजित की गई लिखित परीक्षा, कम्प्यूटर प्रचालन जाँच एवं साक्षात्कार तथा ऐसे चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर होगी। मुख्य न्यायाधीश के पूर्वानुमोदन से केन्द्रीकृत समिति द्वारा उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाएगी जो एक वर्ष तक मान्य रहेगी।

(vi) परिचारी (विशेष)/परिचारी, रात्री प्रहरी से आदेशिका तामीलकर्त्ता (Process Server) के पद पर नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा विहित तथा केन्द्रीयकृत समिति द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, उम्मीदवार का सेवा इतिहास एवं साक्षात्कार के आधार पर होगी।

(vii) परिचारी (विशेष)/परिचारी, रात्री प्रहरी का प्रोन्नत्ति केन्द्रीयकृत समिति द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, उम्मीदवार का सेवा इतिहास एवं साक्षात्कार के आधार पर होगी।

(viii) स्थान लेखक (deposition writer)–सह–टंकक–सह लिपिक–को उसका/उसकी उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति से पूर्व अनिर्वाय रूप से टंकण जाँच में उत्तीर्ण होना होगा जिसमें अंग्रेजी भाषा में टंकण गति 40 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी भाषा में टंकण गति 33 शब्द प्रति मिनट (त्रुटि में 1.5 % की शिथिलता) आवश्यक होगा।

उम्मीदवार को उच्च न्यायालय द्वारा उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति हेतु समय समय पर विहित व्यवहार एवं प्रक्रिया अथवा किसी अन्य विषय की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा।

(ix) एक आशुटंकक को उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नत होने से पूर्व आशुटंकक जाँच में उत्तीर्ण होना होगा। इसके लिए अंग्रजी भाषा में प्रति मिनट 80 शब्दों की गति एवं हिंदी भाषा में प्रति मिनट 60 शब्दों की गति (5 % त्रुटि की शिथिलता के साथ) अनिवार्य होगी। उम्मीदवार को व्यवहार एवं प्रक्रिया की परीक्षा तथा उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट अन्य विषयों की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा।

(x) एक लिपिक को श्रेणी–II में प्रोन्नति प्राप्त करने अथवा उसके (पुरूष/स्त्री) द्वारा किसी कारण से उसी वेतनमान मे वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने के पूर्व उसे निम्नलिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा :–

(1) उच्च न्यायालय द्वारा गठित सिविल कोर्ट एवं क्रिमिनल कोर्ट नियमावली

(2) लेखा

(3) पत्राचार का प्रारूप एवं आदेश फलक लेखन, एवं

(4) व्यवहार एवं प्रक्रिया

(xi) एक लिपिक द्वारा कोटि–I में प्रोन्नति प्राप्त करने अथवा किसी कारण से अगले उच्चतर वेतनमान में वितिय उन्नयन प्राप्त करने के पूर्व, उसे (पुरूष/स्त्री) प्रक्रिया (सिविल एवं क्रिमिनल), मुद्रांक (स्टाम्प) अधिनियिम, न्यायालय शुल्क अधिनियम, वाद मूल्यांकन अधिनियम तथा पत्राचार एवं टिप्पणी प्रारूपण की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। एक टंकक/आशुलिपिक का स्थानान्तरण 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त लिपिक के पद पर किया जा सकता है बशर्ते के वह, (स्त्री/पुरूष) उपरोक्त विहित परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त कर ले।

(xii) कोटि– I के लिपिक पर प्रोन्नति हेतु योग्य उम्मीदवार की अनुपालब्धता की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार उच्च न्यायाय के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन केन्द्रीकृत समिति की अनुशंसा पर सीधी नियुक्ति के द्वारा उक्त पद को भर सकेगा। अतिकाल वेतनमान (Supertime Pay Scale) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विहित योग्यता विधि स्नातक अथवा मान्यात प्राप्त विश्व विद्यालय से प्राप्त समकक्ष डिग्री होगी।

15. **क.पुनर्नियोजन** :–

(1) यदि जिला न्यायाधीश के राय में किसी कर्मचारी (पुरूष/स्त्री) की सेवा निवृत्ति के उपरांत उसकी सेवा, प्रशासनिक अपेक्षाओं के लिए आवश्यक है, तो वह ऐसे कर्मचारी के अभिलेख को उसका/उसकी पुनर्नियोजन हेतु अपनी अनुशंसा के साथ उच्च न्यायालय के महानिबंधक के पास भेजेंगे तथा इसके गुणवगुण के आधार पर उच्च न्यायालय की स्थायी समिति द्वारा उस पर विचार किया जाएगा। आपवादिक मामले और जनहित के मामलों को छोड़कर 2 वर्षो से अधिक के पुनर्नियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

(2) स्थायी समिति के पूर्वानुमोदन के अध्याधीन जिला न्यायाधीश किसी सेवा निवृत्ति कर्मचारी का पुर्नर्नियोजन कर सकता है यदि वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रशासनिक अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक है।

16. **प्रशिक्षण** :–सीधी नियुक्ति अथवा समूह ''ग'' पद की परीक्षा से नियुक्त कर्मचारी जिसकी उम्र 55 वर्षों से कम है, को उच्च न्यायालय द्वारा विहित उस विर्निदिष्ट पद के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

17. **कालावधि** :–एक पद से दूसरे पद पर प्रोन्नति हेतु कालावधि राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार होगी।

18. **स्थानांतरण** :–समूह 'ख' एवं समूह 'ग' के सभी पद जिला संवर्ग के पद होंगे,

परंतु, यह कि स्थायी समिति द्वारा किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण स्वतः प्रेरण से (suo motu) अथवा कर्मचारी की प्रार्थना पर अथवा पारस्परिक स्थानान्तरण के मामले में अथवा जनहित में अथवा प्रशासनिक आवश्यकता हेतु अथवा संबंधित जिला न्यायाधीश की अनुशंसा पर किया जा सकता है। कर्मचारियों द्वारा प्रार्थित पारस्परिक स्थानांतरण प्रांरभिक नियुक्ति से न्यूनतम तीन वर्ष पूरा करने के उपरान्त हीं हो सकता है तथा उसका/उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में कर्मचारी द्वारा केवल दो बार इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है।

19. समूह 'ग' के सभी पद जिला संवर्ग के पद हैं तथ जिला न्यायाधीश सेवा की आवश्यकताओं एव अपेक्षाओं के अनुसार उनका स्थानांतरण जिला के अन्तर्गत कर सकते हैं।

परन्तु यह कि स्थायी समिति द्वारा एक कर्मचारी का स्थानांतरण एक जिला से दूसरे जिला में निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है:-

(i) जनहित में अथवा प्रशासनिक अपेक्षाओं के कारण अथवा स्वतः प्रेरणा से अथवा संबंधित जिला न्यायाधीश की अनुशंसा पर,

(ii) कर्मचारी के निवेदन पर,

(iii) पारस्परिक स्थानांतरण के मामले में,

परन्तु यह और कि किसी कर्मचारी का स्थांतरण एक जिला संवर्ग में, पारस्परिक (Mutual) आधार पर अथवा प्रशासनिक अपेक्षाओं के कारण, होने पर जिला संवर्ग के उस कर्मचारी की वरीयता उसका/उसकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर तय की जाएगी। यदि दो या दो से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि समान हो तो उनकी वरीयता उनकी जन्म तिथि के आधार पर तय की जाएगी तथा उनमें से सर्वाधिक उम्र वाले व्यक्ति को वरीयतम माना जाएगा,

परंतु यह कि किसी कर्मचारी के निवेदन पर उसका स्थानांतरण किए जाने के माामले में उसे अपनी वरीयता को त्याग करना होगा तथा स्थानांतरित जगह पर उसे सबसे निचले स्थान पर रखा जाएगा।

<u>20. पूर्व से सेवा में नियुक्त कर्मचारियों का संरक्षण</u> :- इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व सेवा में नियुक्त कर्मचारी जो इसमें विहित अर्हताओं को धारण नहीं करते हैं अथवा अन्य शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, वे अपने पद पर बने रहेंगे इस शर्त के अध्याधीन कि उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर विहित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। ऐसा करने में असफल रहने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने तक वार्षिक वेतन वृद्धि एवं प्रोन्नति के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा,

परंतु यह कि उपरोक्त शर्त उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो इस नियमावली के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को 55 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके हैं।

<u>21. बिहार सेवा संहिता/बिहार पेंशन नियमावली की प्रयेज्यता लागू होना</u> : -(i) बिहार सेवा संहिता एवं बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधान अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों पर यथोचित परिवर्तन (*Mutatis Mutandis*) संहित लागू होंगे।

(ii) बिहार सेवा संहिता एवं बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधान, अवकाश की स्वीकृति/अस्वीकृति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/अनिवार्य सेवा निवृत्ति/त्याग पत्र तथा इन नियमावली में नहीं प्रावधानित सभी अन्य मामलों में लागू होंगे।

22. **शिथिलता** :– स्थायी समिति की अनुशंसा पर पूर्ण पीठ को इन नियमावली के किसी प्रावधान की अपेक्षाओं को हटाने अथवा उसमें शिथिलता देने का अधिकार होगा, इस हद तक और इस शर्त के अध्याधीन कि किसी खास मामलें में ऐसा करना आवश्यक हो।

अनुशासनात्मक कार्रवाई/अपील के प्रावधान

23. **अनुशासनात्मक कार्रवाई** :–अनुशासनिक प्राधिकार किसी आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई, प्रारंभ कर सकता है, आरोप पत्र निर्गत कर सकता है, आरोप की जाँच स्वयं अथवा किसी न्यायिक पदाधिकारी से करा सकता है तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अधीन कोई शास्ति (Penalty) अधिरोपित कर सकता है।

24.**अपील/पुनर्विलोकन** :– कोई कर्मचारी अपने ऊपर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अधिरोपित लघु /वृहत सजा के विरूद्ध उक्त सजा की प्रति की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर–उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

(2) संबंधित कर्मचारी से अपील का ज्ञापन प्राप्त करने के दो सप्ताह के अंदर जिला न्यायाधीश द्वारा अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, के साथ उच्च न्यायालय के महानिबंधक के पास प्रेषित किया जाएगा।

(3) स्थायी समिति द्वारा उक्त अपील का निष्पादन शीघ्रतापूर्वक, एवं यथा संभव अपील की प्राप्ति की तिथि से तीन महीनों के अंदर किया जाएगा यदि वह अपील किसी वृहद दंड (Major Penalty) के विरूद्ध किया गया हो, तथा लघु दंड (Minor Penalty) के विरूद्ध किए गए अपील के मामले में उसका निष्पादन न्यायाधीश प्रशासनिक विभाग–1 के द्वारा किया जाएगा।

(4) अपीलीय प्राधिकार के आदेश से अपकृत (Aggrieved) कोई कर्मचारी अपीलीय आदेश की प्राप्ति से 45 दिनों के अंदर पुनर्विलोकन प्राधिकार के समक्ष उसकी समीक्षा हेतु प्रस्तुत कर सकता है। पुनर्विलोकन प्राधिकार पुनर्विलोकन ज्ञापन दाखिल करने की तिथि से 3 महनों के अंदर– उसका निष्पादन कर सकता है।

(5) विभागीय कार्रवाई की सभी प्रकृया यथा, शास्ति अधिरोपन, अपील का निश्पादन संबंधित कर्मचारी के लिए लागू वैधानिक नियमावली से नियंत्रित होंगे तथा आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध शुरू की गई अनुशासनिक कार्रवाई में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 प्रावधान यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे।

25.**कठिनाईयों को दूर करने का अधिकार** :– (i) इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो स्थायी समिति, अपने आदेश के द्वारा जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत नही हो, उक्त कठिनाई को दूर कर सकती है।

(ii) **व्याख्या** : – इस नियमावली तथा अन्य नियमावली की व्याख्या संबंधी किसी प्रकार के प्रश्न उठाए जाने पर स्थायी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

26. <u>**निरसन एवं व्यावृति**</u> :– बिहार सिविल कोर्ट कर्मचारी (वर्ग III और वर्ग iv) नियमावली, 1998, बिहार सिविल कोर्ट कर्मचारी (वर्ग iii एवं वर्ग iv) (संशोधन) नियमावली, 2001 एवं बिहार सिविल कोर्ट कर्मचारी (वर्ग iii एवं वर्ग iv) नियमावली, 2009 एवं बिहार सिविल कोर्ट पदाधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती, प्रोन्नति स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तो) नियमावली, 2017 एतद् द्वारा निरसित की जाती है।

(ii) ऐसे निरसन के होने के बावजूद उपरोक्त नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा उठाया गया कोई कदम इस नियमावली के तदनुरूपी प्रावधानों के अधीन किया गया कार्य अथवा उठाया गया कदम के रूप में मान्य होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19/4/22

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 7/स्था0–04–05/2022 सा0प्र0वि0 6020/पटना–15, दिनांक 19-4-22

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 और ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को इसकी सी0डी0 सहित द्विप्रतिक प्रतियों में असाधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग को इस अधिसूचना की 200(दो सौ) प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाए।

19/4/22

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 7/स्था0–04–05/2022 सा0प्र0वि0 6020/पटना–15, दिनांक 19-4-22

प्रतिलिपिः– महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक–20599, दिनांक–08.04.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/4/22

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 7/स्था0–04–05/2022 सा0प्र0वि0 6020/पटना–15, दिनांक 19-4-22

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–17, दिनांक–18.04.2022 के प्रसंग में/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना/प्रभारी सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना एवं सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/4/22

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।

अनुसूची – 'क'

व्यवहार न्यायालय की स्थापना
(अर्हता, उम्र तथा भर्ती की पद्धति)

क्रम संख्या I	पद का नाम	समूह	वेतनमान एवं ग्रेड–पे	भर्ती की पद्धति	उम्र	अर्हता	I. भर्ती /प्रोन्नति की अनुशंसा हेतु प्राधिकार II. नियुक्ति प्राधिकार III. संवर्ग IV. भर्ती की पद्धति
1.	मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी–सह–जिला न्यायाधिश के मुख्य सिरेस्तेदार	ख		प्रशासनिक पदाधिकारियों में से जिनका उक्त पद पर अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो अथवा सहायक प्रशासनिक पदाधिकारियो (न्यायिक अथवा स्थापना) से अथवा लेखा पदाधिकारियों से अथवा कार्यक्रम पदार्धकारियों से जिनका उक्त पद पर अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो, से मेधा एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन।		मान्यात प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी संकाय से स्नातक डिग्री, कंप्यूटर में दक्षता के साथ, वांछनीय वित्तिय प्रशासन/मानव संसाधन का ज्ञान, प्रोन्नति हेतु	I. केन्द्रीय समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. योग्यता (साक्षात्कार) के आधार पर चयन
2.	प्रशासनिक पदाधिकारी–सह–जिला न्यायाधिश के मुख्य सिरेस्तेदार	ख		प्रशासनिक पदाधिकारी (न्यायिक) जिनका अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो, का साक्षात्कार के आधार पर अथवा सीधे चयन के द्वारा योग्यता सह वरीयता के अधार पर चयन		सीधे बहाली हेतु बी0बी0ए0डिग्री कानून के साथ प्रोन्नति हेतु:मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक डिग्री वांछनीय कंप्यूटर उपयोग में दक्षता तथा वित्तिय प्रशासन का ज्ञान	I. केन्द्रीय समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. योग्यता (लिखित परीक्षा/एवं साक्षात्कार) के आधार पर चयन
3.	सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी–सह–सिरेस्तेदार	ख		सभी कर्मचारियों में से तथा उक्त पद पर अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो, में से योग्यता सह वरीयता के आधार पर केन्द्रीयकृत समिति द्वारा परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन।		मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी संकाय से स्नातक की डिग्री तथा कंप्यूटर में दक्षता	I. केन्द्रीय समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. योग्यता (सिमित परीक्षा/एवं साक्षात्कार) के आधार पर चयन
4.	सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी–सह–(नजारत) जिला नाजिर	ख		न्याचार पदाधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, वरीय कार्यालय सहायक अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो, में साक्षात्कार के आधार पर चयन।		मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी संकाय से स्नातक की डिग्री तथा कंप्यूटर में दक्षता	I. केन्द्रीय समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. चयन (साक्षात्कार)
5.	लेखा पदाधिकारी	ख		लेखाकार में सेवा का अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो, में से योग्यता सह वरीयता के आधार पर अथवा II. राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सार्वजनिक में प्रतिनियुक्ति हो में से		बी0 कॉम (स्नातक वाणिज्य) तथा बजट तैयार करने एवं नकद (cash) के साथ लेखा एवं अन्य वित्तिय मामलों में अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो, के साथ कंप्यूटर में दक्षता	I. केन्द्रीय समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. चयन (साक्षात्कार)

6.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना)	ख	राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग या राज्य सरकार की अनुसंशाओं के अनुसार, जैसा राज्य सरकार दोनों मामलों में अधिसूचित करती है।	इनका चयन केन्द्रीयकृत समिति द्वारा कार्यालय अधीक्षक व कार्यालय सहायक या न्यायालय सहायक जो वैसे कार्यालय में अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो, से साक्षात्कार के आधार पर होगा।		प्रोन्नति के लिए :-(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक।	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. चयन (साक्षात्कार/लिखित परीक्षा +साक्षात्कार)
7.	प्रोग्राम ऑफिसर–सह–वरीय प्रोग्रामर	ख		इनका चयन योग्यता–सह–वरीयता के आधार पर प्रोग्रामर के पद से होगा अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो।		किसी मान्यता प्राप्त विश्वद्यालय से स्नातक की उपाधि/कम्प्यूटर यांत्रिकी में डिप्लोमा/कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर तकनीकी साथ ही वैसे क्षेत्र अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. चयन (लिखित परीक्षा/कम्प्यूटर दक्षता जाँच/साक्षात्कार)
8.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (गोपनीय)	ख		इस पद पर चयन सुयोग्यता जॉच के आधार पर आशुलिपिक ग्रेड–1 और प्र0न्या0व0 लि0न्या0के निजी सहायक तथा अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो, में से होगा।		मान्यता प्राप्त विश्वद्यालय से किसी विषय में स्नातक की उपाधि	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. चयन (साक्षात्कार)
9.	जिला न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीश के निजी सहायक	ख		जिला न्यायाधीश के अनुशंसा पर आशुलिपिक ग्रेड–II में से पूर्ण रूपेण चयनात्मक पद		मान्यता प्राप्त विश्वद्यालय से किसी विषय में स्नातक की उपाधि	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला संवर्ग III. जिला न्यायाधीश IV. चयन (साक्षात्कार)
10.	कार्यालय अधीक्षक	ख		**सहायक/लिपिक मे से प्रोन्नत्ति द्वारा चयन**		मान्यता प्राप्त विश्वद्यालय से किसी विषय में स्नातक की उपाधि	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला संवर्ग III. जिला न्यायाधीश IV. चयन (साक्षात्कार)
11.	जन सम्पर्क पदाधिकारी–सह–सूचना पदाधिकारी	ख		पुस्ताकलयाध्यक्ष या प्रोग्रामर या न्यायसन पदाधिकारी जिन्हें उपरोक्त पदां पर अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो, में से चयन के आधार पर।			I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. चयन (साक्षात्कार)
12.	न्यायसन पदाधिकारी	ख		बैलिफ नाजिर और सहायक साथ ही उपरोक्त पदों पर अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो, में से चयन किया जाएगा।		मान्यता प्राप्त विश्वद्यालय से किसी विषय में स्नातक की उपाधि	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. चयन (साक्षात्कार)

13.	वरीय न्यायालय सहायक तथा वरीय कार्यालय सहायक	ग		ग्रेड –II के लिपिक अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो, में से प्रोन्नति के आधार पर		मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक की उपाधि	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. प्रोन्नति
14.	प्रोग्रामर	ग		केन्द्रीयकृत समिति द्वारा सहायक प्रोग्रामर अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो, मे से प्रोन्नति के आधार पर		मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक की उपाधि	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. प्रोन्नति
15.	सहायक प्रोग्रामर	ग		(i) अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो, कम्प्यूटर सहायक में से प्रोन्नति के आधार पर 25 % (ii) सीधी नियुक्ति –75 %	सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु–21 वर्ष अधिकतम आयु राज्य सरकार द्वारा समतुल्य पदों पर निर्धारित	सीधी नियुक्ति हेतुः– नियमित एम0सी0ए0 / स्नातक 60 % अंक के साथ डिप्लोमा इन कम्पयूटर एप्लीकेशन / कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्युनिकेशन एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 प्रोग्राम के तहत 'ए' स्तर का डिप्लोमा या राज्य सकार द्वारा संचालित तकनीकी शिक्षा के तहत डिप्लोमा इन कम्पयूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर या अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. परीक्षा के द्वारा प्रोन्नति / सीधी नियुक्ति केन्द्रीकृत समिति को जो उचित प्रतीत हो वैसे अन्य जाँच तथा साक्षात्कार।
16.	पुस्ताकालयाध्यक्ष	ग		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो, में से प्रोन्नति पर			I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. चयन (प्रोन्नति)
17.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	ग	राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग या राज्य सरकार की अनुसंशाओं के अनुसार, जैसा राज्य सरकार दोनों मामलों में अधिसूचित करती है।	पुस्तकालय सहायक से **योग्यता सह वरिष्ठता** के आधार पर प्रोन्नति द्वारा चयन साथ ही पुस्तकालय सहायक के पद पर अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो ।	न्युनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम उम्र जैसा राज्य सरकार द्वारा समकक्ष पदो के लिए निर्धारित	(i) लाइब्रेरी विज्ञान में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री अथवा डिप्लोमा (ii) समरूप पद पर अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो। (iii) कम्पयूटर का ज्ञान अनिवार्य है।	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. सीधी नियुक्ति (लिखित परीक्षा और साक्षात्कार)
18.	पुस्ताकलय सहायक	ग		सीधी नियुक्ति	न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु समकक्ष पदो के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित	(i) लाइब्रेरी विज्ञान में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा (ii) समरूप पद पर अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो। (iii) कम्पयूटर का ज्ञान अनिवार्य है।	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. सीधी नियुक्ति (लिखित परीक्षा और साक्षात्कार)

19.	उच्च वर्गीय लिपिक	ग		सहायक लेखापाल जिसमें अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो, से पदोन्नति कर, योग्यता–सह–वरीयता के आधार पर			I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. प्रोन्नति
20.	उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा सहायक)	ग		(i) 50 % सीधी नियुक्ति (i) 50 % लेखा सहायक से प्रोन्नति पर	सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एव अधिकतम आयु राज्य सरकार द्वारा समकक्ष पदो के लिए निर्धारित	वणिज्य स्नातक बाजार के समुचित ज्ञान के साथ एवं रोकड़पुस्त तथा पंजी के रख रखाव तथा अंकेक्षण का संगत क्षेत्र में अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो । कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक है।	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. प्रोन्नति/सीधी नियुक्ति (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार)
21.	लेखा सहायक–सह–विपत्र लिपिक –सह–रोकड़िया	ग		सीधी नियुक्ति	न्युनतम आयु 21 वर्ष अधिकतम आयु एवं अधिकतम आयु राज्य सरकार द्वारा समकक्ष पदो के लिए निर्धारित	वाणिज्य स्नातक एवं रोकड़ व पंजी के रख–रखाव का अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो। कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. प्रोन्नति/सीधी नियुक्ति (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार)
22.	कम्प्यूटर सहायक	ग		(i) 75 % सीधी नियुक्ति (i) 25 % डाटा इन्ट्री आपरेटर से प्रोन्नति पर।	न्युनतम आयु 21 वर्ष अधिकतम आयु एवं अधिकतम आयु राज्य सरकार द्वारा समकक्ष पदो के लिए निर्धारित	(i) डिप्लोमा/आई0टी0/कम्प्यूटर में सर्टिफिकेट कोर्स (ii) अधिमानता वैसे आवेदकों को दी जायेगी जिन्होंने 'o' स्तर का सर्टिफिकेट किया हो तथा डाटा इन्ट्री आपरेटर में अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो।	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. प्रोन्नति/सीधी नियुक्ति (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार)
23.	डाटा इन्ट्री आपरेटर	ग	राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग या राज्य सरकार की अनुसंशाओं के अनुसार, जैसा राज्य सरकार दोनों मामलों में अधिसूचित करती है।	कौशल परीक्षा तथा केन्द्रीकृत चयन समिति द्वारा तय अन्य परीक्षाओं के आधार पर सीधी नियुक्ति के द्वारा	न्युनतम आयु 21 वर्ष अधिकतम आयु एवं अधिकतम आयु राज्य सरकार द्वारा समकक्ष पदो के लिए निर्धारित	(i) डिप्लोमा/आई0टी0/कम्प्यूटर में सर्टिफिकेट कोर्स (ii) अधिमानता वैसे आवेदकों को दी जायेगी जिन्होने 'o' स्तर का सर्टिफिकेट किया हो तथा डाटा इन्ट्री आपरेटर में अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो।	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. प्रोन्नति/सीधी नियुक्ति (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार)

24.	न्यायालय सहायक–सह–लिपिक– II तथा कार्यालय सहायक सह–लिपिक– II	ग		न्यायालय सहायक /कार्यालय सहायक अथवा लिपिक में अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो, में से प्रोन्नति के आधार पर।		किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक की उपाधि।	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. प्रोन्नति
25.	उच्च वर्गीय लिपिक (न्यायालय सहायक तथा कार्यालय सहायक अथवा लिपिक ग्रेड–III के कोई अन्य पद	ग		(i) 75 % सीधी नियुक्ति (ii) 25 % बैलिफ आदेशिक तामिल कर्ता (प्रोसेर सर्वर), दफ्तरी, चालक, परिचारी, परिचारी (विशेष), रात्रि प्रहरी जो वांछित योग्यता रखते हों, मे 1:2 के अनुपात में अर्थात परीक्षा मे 3 पदों पर नियुक्ति में, एक प्रोसेसर सर्वर, दफ्तरी और चालक से भरे जाएगें तथा दो परिचारी, परिचारी (विशेष), रात्रि प्रहरी के पद, अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो, से भरा जायेगा।	सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष। अधिकतम आयु राज्य सरकार द्वारा समकक्ष पदो के लिए निर्धारित	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक की उपाधि। कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग 75 % सीधी नियुक्ति से–लिखित परीक्षा एव साक्षात्कार 25 % सिमित परीक्षा एव साक्षात्कार द्वारा
26.	ग्रेड–I, II के अन्य लिपिक जैसे विविध लिपिक, बयान (स्टेटमेन्ट)लिपिक तथा ग्रेड– II के अन्य लिपिक	ग		उपरोक्त ग्रेड– II एवं III पदो के अनुसार		किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक,	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. जैसा कि संबधित ग्रेड पद के लिए निर्धारित किया गया हो।
27.	आशुलिपिक ग्रेड–I तथा निजी सहायक	ग		निपुणता–सह–वरीयता के आधार पर निपुणता परीक्षा के आधार पर चयन		किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय मे स्नातक (ii) कम्प्यूटर टंकण में प्रवीणता (iii) केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा निर्गत आशुलिपी में प्रवीणता का प्रमाण पत्र गतिः (क) आशुलिपी–80 भा0प्र0मि0 अंग्रेजी तथा 60 भा0प0मि0 हिन्दी में (सिर्फ 5 % भूल ही स्वीकार्य होगा) तथा (ख) टंकण गति 40 भा0प्र0मि0 अंग्रेजी में और 30 भा0प्र0मि0 हिन्दी में।	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. चयन (साक्षात्कार के द्वारा)

28.	आशुलिपिक ग्रेड–II	ग		निपुणता–सह–वरीयता के आधार पर निपुणता परीक्षा के आधार पर चयन		किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय मे स्नातक (ii) कम्प्यूटर टंकण में प्रवीणता (iii) केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा निर्गत आशुलिपीक में प्रवीणता का प्रमाण पत्र गतिः (क) आशुलिपीक–80 भा0प्र0मि0 अंग्रेजी तथा 60 भा0प्र0मि0 हिन्दी में (सिर्फ 5 % भूल की स्वीकार्य होगा) तथा (ख) टंकण गति 40 भा0प्र0मि0 अंग्रेजी में और 30 भा0प्र0मि0 हिन्दी में।	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. चयन (साक्षात्कार के द्वारा)
29.	आशुलिपिक ग्रेड–III	ग		सीधी नियुक्ति	राज्य सरकार द्वारा समतुल्य पदो के लिए निर्धारित आयु	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय मे स्नातक (ii) कम्प्यूटर टंकण में प्रवीणता (iii) केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा निर्गत आशुलिपी में प्रवीणता का प्रमाण पत्र गतिः (क) आशुलिपी–80 भा0प्र0मि0 अंग्रेजी तथा 60 भा0प्र0मि0 हिन्दी में (सिर्फ 5 % भूल की स्वीकार्य होगा) तथा (ख) टंकण गति 40 भा0प्र0मि0 अंग्रेजी में और 30 भा0प्र0मि0 हिन्दी में।	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV लिखित परीक्षा, आशुलेखन जाँच टंकण जाँच, कम्प्यूटर निपुणता जाँच तथा साक्षात्कार
30.	न्यायालय रीडर–सह–डिपोजिशन राइटर (ब्यान लेखक)	ग		सीधी नियुक्ति	न्यूनतम आयु 21 वर्ष अधिकतम आयु जैसा राज्य सरकार द्वारा ग्रूप–सी के पदो के निर्धारित	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक साथ मे कम्पयूटर टंकण गति 40 भा0प्र0मि0 अग्रेजी तथा 30 भा0प्र0मि0 हिन्दी में।	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवग IV. लिखित परीक्षा, आशुलेखन जाँच, टंकण जाँच, कम्प्यूटर निपुणता जाँच तथा साक्षात्कार
31.	उच्च वर्गीय लिपिक (ग्रेड–III के अंतर्गत अन्य लिपिक)	ग		(i) 75 % सीधी नियुक्ति (ii) 25 % बैलिफ, प्रोसेस सर्वर, दफ्तरी, चालक तथा परिचारी, परिचारी (विशेष) तथा रात्रि प्रहरी के पदों पर आवश्यक योग्यता रखने वालों से 1:2 के अनुपात में जैसे सीमित परीक्षा से तीन पदों पर नियुक्ति में, एक प्रोसस सर्वर दफ्तरी एवं चालक से भरा जायेगा तथा दो परिचारी, परिचारी (विशेष) तथा रात्रि प्रहरी के पदों से भरा जायेंगा, जो उन पदों पर अनुभव राज्य सरकार के कालावधि के अनुसार हो,।	राज्य सरकार द्वारा समतुल्य पदो के लिए निर्धारित आयु	किसी मान्यता प्राप्त विश्वद्यिालय से स्नातक कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग
32.	बैलिफ	ग		प्रोसेस सर्वर /आदेशिका तामिल कर्त्ता से प्रोन्नति पर		मैट्रिक या समतुल्य	I. केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. प्रोन्नति

33.	प्रोसेस सर्वर/आदेशिका तामिलकर्त्ता	ग		(i) 75 % सीधी नियुक्ति से जाँच परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर (ii) 25 % परिचारक (विशेश)(दफ्तरी), परिचारक (अदेशपाल + अर्दली), माली, फरास, स्वीपर, रसोईया, बढई और दरजी,रात्री प्रहरी से प्रोन्नति पर	न्यूनतम आयु 18 वर्ष सीधी नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु राज्य सरकार द्वारा समतुल्य पदो के लिए निर्धारित	मैट्रिक या समतुल्य	I. सीधी नियुक्ति हेतु केन्द्रीकृत समिति प्रोन्नति के लिए जिला समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. 10 % दफ्तरी, चालक, परिचारी, परिचारी (विशेष) तथा रात्रि प्रहरी कर्मचारियों में से प्रोन्नति पर तथा 90 % सीधी नियुक्ति के द्वारा सीधी नियुक्ति (जाँच परीक्षा एवं साक्षात्कार)
34.	चालक	ग		सीधी नियुक्ति जाँच परीक्षा तथा नियमों के तहत वाहन चालन के आधार पर	न्यनतम आयु 18 वर्ष सीधी नियुक्ति हेतु जाँच/निपुणता परीक्षा/ अधिकतम आयु, राज्य सरकार द्वारा समतुल्य पदो के लिए निर्धारित	मैट्रिक या इसके समतुल्य योग्यता, वैध ड्राइविंग लाइसेंस	I. केन्द्रीयकृत समिति द्वारा जाँच परीक्षा, वाहन चालन जाँच तथा साक्षात्कार। II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. सीधी नियुक्ति (जाँच परीक्षा, कौशल परीक्षा तथा जिला समिति द्वारा साक्षात्कार।
35.	परिचारक (विशेश)(दफ्तरी)	ग		सीधी नियुक्ति जाँच परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर।	सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु राज्य सरकार द्वारा समतुल्य पदो के लिए निर्धारित।	मैट्रिक या दसवी पास	I. कौशल एवं साक्षात्कार परीक्षा हेतु केन्द्रीयकृत समिति II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. सीधी नियुक्ति

36.	परिचारक (अदेशपाल + अर्दली)	ग		सीधी नियुक्ति हेतु दिए गए नियमों के अंतर्गत जाँच परीक्षा तथा साक्षात्कार	सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु राज्य सरकार द्वारा समतुल्य पदो के लिए निर्धारित।	मैट्रिक या दसवीं पास	I. कौशल परीक्षा हेतु केन्द्रीयकृत समिति एवं जिला समिति साक्षात्कार के लिए II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. सीधी नियुक्ति
37.	परिचारक (विशेश) फैक्स आपरेटर, जेनरेटर आपरेटर–सह–बिजली मिस्त्री , फोटो मशीन आपरेटर तथा राजकोश दूत (ट्रेजरी मैसन्जर)	ग		सीधी नियुक्ति हेतु दिए गए नियमों के अंतर्गत जाँच परीक्षा तथा साक्षात्कार	सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु राज्य सरकार द्वारा समतुल्य पदो के लिए निर्धारित।	मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में I.T.I.	I. कौशल परीक्षा हेतु केन्द्रीयकृत समिति एवं जिला समिति साक्षात्कार के लिए II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. सीधी नियुक्ति
38.	माली, फरास, स्वीपर, रसोईया, बढ़ई और दरजी	ग		सीधी नियुक्ति निपुणता परीक्षा। सुयोग्यता / साक्षात्कार के आधार पर।	सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु राज्य सरकार द्वारा समतुल्य पदो के लिए निर्धारित।	मैट्रिक या दसवीं पास	I. कौशल परीक्षा हेतु केन्द्रीयकृत समिति एवं जिला समिति साक्षात्कार के लिए II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. सीधी नियुक्ति /आउटसोर्सिंग।
39.	रात्री प्रहरी	ग		सीधी नियुक्ति सुयोग्यता हेतु जाँच परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर	सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु राज्य सरकार द्वारा समतुल्य पदो के लिए निर्धारित।	मैट्रिक या दसवीं पास	I. कौशल परीक्षा हेतु केन्द्रीयकृत समिति एवं जिला समिति साक्षात्कार के लिए II. जिला न्यायाधीश III. जिला संवर्ग IV. सीधी नियुक्ति /आउटसोर्सिंग।

अनुसूची–'ख' TAB]

बिहार में व्यवहार न्यायालय तथा अनुमंडल न्यायालय का स्टाफिंग पैटर्न

''परिशिष्ट ''क''

जिला एवं सत्र न्यायालय

क्रमांक	न्यायालय का नाम	पदों का नाम	समूह	उपाधि
1	2	3	4	5
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)–सह–जिला न्यायधीश शिरिस्तेदार	समूह ख	1
		वरीय न्यायालय सहायक–सह–लिपिक (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		वरीय कार्यालय सहायक –सह–लिपिक (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		सत्र सहायक (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		वाद सहायक (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		प्रकीर्ण सहायक (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		ब्यान सहायक (ग्रेड–Ii)	समूह ग	2
		निजी सहायक (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		वरीय आशुलिपिक (ग्रेड–I), आशुलिपिक (ग्रेड–II)	समूह ग	(1+2) 3
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		डाटा इन्ट्री आपरेटर	समूह ग	1
		चालक	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी/आदेशपाल)	समूह ग	5
2	प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय)	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)–सह–शिरिस्तेदार (ग्रेड–I) (समूह बी)	समूह ख	1
		वरीय न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		वरीय न्यायालय सहायक–सह–ओ0सी0 (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		प्रकीर्ण सहायक (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		निजी सहायक (ग्रेड–I) एवं आशुलिपिक (ग्रेड–II)	समूह ग	(1+1) 2
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		सहायक लेखाकार (कार्यालय के कार्य हेतु) (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		लेखा सहायक–सह–विपत्र लिपिक (कार्यालय के कार्य हेतु)	समूह ग	1
		डाटा इन्ट्री आपरेटर	समूह ग	1
		चालक	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी/आदेशपाल)	समूह ग	3
3	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	वरीय न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (गेड–I)	समूह ग	1
		वरीय कार्यालय सहायक–सह–ओ0सी0 (गेड–I)	समूह ग	1
		वरीय आशुलिपिक (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		डाटा इन्ट्री आपरेटर	समूह ग	1
		चालक	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी/आदेशपाल)	समूह ग	2

क्रमांक	न्यायालय का नाम	पदों का नाम TAB]	समूह	उपाधि
1	2	3	4	5
4	विशेष न्यायालय (प्रत्येक)	वरीय न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		वरीय कार्यालय सहायक–सह–ओ0सी0 (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		वरीय आशुलिपिक (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		डाटा इन्ट्री आपरेटर	समूह ग	1
		चालक	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	2
5	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रत्येक न्यायालय / अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश)	वरीय न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		वरीय कार्यालय सहायक–सह–ओ0सी0 (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		वरीय आशुलिपिक (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		डाटा इन्ट्री आपरेटर	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	2
6	तदर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रत्येक पद)	न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		कार्यालय सहायक–सह–ओ0सी0 (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		आशुलिपिक (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		डाटा इन्ट्री आपरेटर	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	2
7	मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–सह–अवर न्यायाधीश–सह सहायक सत्र न्यायाधीश–I	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)–सह–अपराध शिरिस्तेदार (समूह ख)	समूह ख	1
		वरीय न्यायालय सहायक (प्रभारी जी0आर0) (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		वरीय न्यायालय सहायक –सह–परिवाद लिपिक (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (ग्रेड–II)	समूह ग	2
		कार्यालय सहायक–सह–ओ0सी0 (ग्रेड–II)	समूह ग	2
		वरीय आशुलिपिक (ग्रेड–I)	समूह ग	1+1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		डाटा इन्ट्री आपरेटर	समूह ग	1
		चालक	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	3
8	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–सह–अवर न्यायाधीश–I–सह –सहायक सत्र न्यायाधीश–II	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)–सह–शिरिस्तेदार (समूह–ख)	समूह ख	1
		न्यायालय सहायक –सह–वाद लिपिक (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (ग्रेड–II)	समूह ग	2
		कार्यालय सहायक–सह–ओ0सी0 (ग्रेड–II)	समूह ग	2
		आशुलिपिक (ग्रेड–II)	समूह ग	1+1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		डाटा इन्ट्री आपरेटर	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	2+1

क्रमांक	न्यायालय का नाम	पदों का नाम TAB]	समूह	उपाधि
1	2	3	4	5
9	अवर न्यायाधीश (प्रत्येक न्यायालय)	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)–सह–शिरिस्तेदार (समूह–ख)	समूह ख	1 (सभी अवर न्यायाधीश के न्यायालय के लिए)
		न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		कार्यालय सहायक–सह–ओ0सी0 (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		आशुलिपिक (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		डाटा इन्ट्री आपरेटर	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी/आदेशपाल)	समूह ग	2
10	अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी/रेलवे दण्डाधिकारी	न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		कनीय कार्यालय सहायक–सह–ओ0सी0 (ग्रेड–III)	समूह ग	2
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		आशुलिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		डाटा इन्ट्री आपरेटर	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी/आदेशपाल)	समूह ग	2
11	मुन्सिफ/कार्यपालक मुन्सिफ (प्रत्येक)	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)–सह–शिरिस्तेदार (समूह–ख)	समूह ख	1(केवल मुन्सिफ के लिए)
		न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		कार्यालय सहायक–सह–ओ0सी0 (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		उच्च वर्गीय लिपिक, (प्रकीर्ण लिपिक) (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		आशुलिपिक (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		डाटा इन्ट्री आपरेटर	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी/आदेशपाल)	समूह ग	2+1(केवल मुन्सिफ के लिए)
12	`प्रभारी न्यायाधीश–सह–अतिरिक्त मुन्सिफ	न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		कनीय कार्यालय सहायक–सह–ओ0सी0 (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		आशुलिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		डाटा इन्ट्री आपरेटर	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी/आदेशपाल)	समूह ग	2
13	न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी–सह–अतिरिक्त मुन्सिफ (प्रत्येक न्यायालय)	कनीय न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		कनीय कार्यालय सहायक–सह–ओ0सी0 (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		आशुलिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		डाटा इन्ट्री आपरेटर	समूह ग	1
		सहचर (विशेष), (चपरासी/आदेशपाल)	समूह ग	2

क्रमांक	न्यायालय का नाम	पदों का नाम TAB]	समूह	उपाधि
1	2	3	4	5
14	न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी	कनीय न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		कनीय कार्यालय सहायक–सह–ओ0सी0 (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		आशुलिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		डाटा इन्ट्री आपरेटर	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	2
15	रिक्त न्यायालय (यदि तीन वर्षों तक रिक्त है)	कनीय कार्यालय सहायक–सह–ओ0सी0 (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	1

क्रमांक	न्यायालय का नाम	पदों का नाम TAB]	समूह	उपाधि
1	2	3	4	5

"परिशिष्ट–'ख' "

स्थापना

1	प्रभारी, प्रशासन	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी–सह–जिला न्यायाधीश प्रधान शिरिस्तेदार	समूह ख	1
2	इन्गलिश कार्यालय	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (गोपनीय)	समूह ख	1
		सहायक प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना)(समूह ख)	समूह ख	1
		कार्यालय अधीक्षक	समूह ग	1
		कार्यालय सहायक (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		लिपिक–सह–टकक (ग्रेड–III) हिन्दी	समूह ग	1
		लिपिक--सह–टकक (ग्रेड–III) अंग्रेजी	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	3(फैक्स आपरेटर सहित)
3	नजारत	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (नजारत) (समूह ख)	समूह ख	1
		प्रोटोकाल अधिकारी (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		प्रधान लिपिक (नायब नाजिर) (ग्रेड–II)	समूह ग	2
		देलीफ (ग्रेड–III)	समूह ग	3
		डिसपैचर (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		लेखा सहायक –सह–कैशियर (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		आदेशिका तामील कर्ता (प्रोसेस सर्वर)	समूह ग	1(प्रत्येक न्यायालय के लिए)
		परिचारी (विशेष) (दफतरी)	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	3 (1 जेनरेटर आपरेटर सहित)
		चपरासी (रात्रि प्रहरी)	समूह ग	2 **
4	संगणक कोषांक (कम्प्युटर सेल)	कार्यक्रम अधिकारी–सह--वरीय प्रोग्रामर (समूह ख)	समूह ख	1
		प्रोग्रामर (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		सहायक प्रोग्रामर (ग्रेड–II)	समूह ग	3
		सगणक सहायक–सह–सिस्टम अधिकारी (ग्रेड–III)	समूह ग	3
		डाटा इन्ट्री आपरेटर–सह–सिस्टम सहायक	समूह ग	8 *
5	लेखा	लेखा अधिकारी (समूह–ख)	समूह ख	1 *
		लेखापाल (ग्रेड–I)	समूह ग	1 *
		सहायक लेखापाल (ग्रेड–II)	समूह ग	2 *
		लेखा सहायक–सह–विपत्र लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	3 *
		कैशियर	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	2(ट्रेजरी संदेशवाहक सहित)
6	पुस्तकालय	जन–सम्पर्क अधिकारी–सह–सूचना अधिकारी	समूह ख	1
		पुस्तकालयाध्यक्ष (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (ग्रेड–III)	समूह ग	2
		पुस्तकालय सहायक	समूह ग	4
		परिचारी, (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	2

क्रमांक	न्यायालय का नाम	पदों का नाम TAB]	समूह	उपाधि
1	2	3	4	5
7	फार्म एवं स्टेशनरी	प्रभारी लिपिक (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		उच्च वर्गीय लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	2
8	नकल खाना	प्रधान नकलखाना लिपिक (ग्रेड–I)	समूह ख	1
		प्रधान लिपिक (अभिप्रमाणित प्रतिलिपि (ग्रेड–II) +नकल कर्त्ता (ग्रेड–III))	समूह ग	3
		सहचर (विशेष), (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	2
9	अभिलेखागार	प्रधान अभिलेख संधारक (ग्रेड–I)	समूह ख	1
		उच्चवर्गीय लिपिक (सहायक अभिलेख संधारक) (ग्रेड–III)	समूह ग	2
		परिचारी (विशेष)(दफ्तरी)	समूह ग	2
		परिचारी, (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	2

क्रमांक	न्यायालय का नाम	पदों का नाम TAB]	समूह	उपाधि
1	2	3	4	5

"परिशिष्ट–'ग' "

अनुमण्डलीय न्यायालय के लिए अतिरिक्त समूह बी, समूह –सी एवं समूह डी पद की आवश्यकता हेतु

1	अतिरिक्त जिला न्यायाधीश	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)–सह–शिरिस्तेदार (समूह ख)	समूह ख	1 (सभी अतिरिकत जिला न्यायाधीशों के लिए)
		वरीय न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		वरीय कार्यालय सहायक–सह–ओ0सी (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		आशुलिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		चालक	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	2
2	अवर न्यायाधीश–I–सह–सहायक मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–सह–सहायक सत्र न्यायाधीश	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)–सह– शिरिस्तेदार (समूह ख)	समूह ख	1+1
		न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		कार्यालय सहायक–सह–ओ0सी (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		प्रकीर्ण लिपिक (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		वाद लिपिक (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		आशुलिपिक (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		चालक	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	3
3	अवर न्यायाधीश (प्रत्येक न्यायालय)	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)–सह–शिरिस्तेदार (समूह ख)	समूह ख	सभी अवर न्यायाधीश न्यायालयों के लिए
		न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		कार्यालय सहायक–सह–ओ0सी (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		आशुलिपिक (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	2
4	अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)–सह–शिरिस्तेदार (समूह ख)	समूह ख	1(जहाँ कोई सहायक मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न हो)
		न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		कनीय कार्यालय सहायक –सह –ओ0सी0 (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		आशुलिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी / आदेशपाल)	समूह ग	2

क्रमांक	न्यायालय का नाम	पदों का नाम TAB]	समूह	उपाधि
1	2	3	4	5
5	मुन्सिफ	प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)–सह–शिरिस्तेदार	समूह ख	1
		न्यायालय सहायक–सह–बी0सी0 (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		कार्यालय सहायक –सह –ओ0सी0 (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		प्रकीर्ण लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		आशुलिपिक (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी/आदेशपाल)	समूह ग	2
6	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (प्रत्येक न्यायालय) एवम् अतिरिक्त मुन्सिफ	कनीय न्यायालय सहायक –सह –बी0सी0 (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		कनीय कार्यालय सहायक –सह –ओ0सी0 (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		आशुलिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी/आदेशपाल)	समूह ग	2
7	न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी (प्रत्येक न्यायालय)	कनीय न्यायालय सहायक –सह –बी0सी0 (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		कनीय कार्यालय सहायक –सह –ओ0सी0 (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		न्यायालय प्रवाचक–सह–ब्यान लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		आशुलिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		परिचारी (चपरासी/आदेशपाल)	समूह ग	2

कार्यालय हेतु :

1	नजारत	प्रधान लिपिक, (नायब नाजिर) (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		बेलीफ (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		लेखा सहायक–सह–कैशियर (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		आदेशिका तामील कर्त्ता (प्रोसेस सर्वर)	समूह ग	1 (प्रत्येक न्यायालय)
		परिचारी (विशेष), दफ्तरी	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी/आदेशपाल)	समूह ग	4 (जेनरेटर आपरेटर एवं /फैक्स आपरेटर सहित)
2	नकलखाना	प्रधान नकलखाना लिपिक (ग्रेड–II)	समूह ग	2
		परिचारी, (चपरासी/आदेशपाल)	समूह ग	1
3	स्टेशनरी	उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी/आदेशपाल)	समूह ग	1
4	लेखा	प्रधान लिपिक (लेखापाल)(ग्रेड–I)	समूह ग	1
		सहायक लेखापाल (ग्रेड–II)	समूह ग	2
		परिचारी, (चपरासी/आदेशपाल)	समूह ग	2 (ट्रेजरी संदेशवाहक सहित)

क्रमांक	न्यायालय का नाम	पदों का नाम TAB]	समूह	उपाधि
1	2	3	4	5
5	अभिलेखागार	सहायक अभिलेखा संधारक (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड–III)	समूह ग	1
		परिचारी (विशेष)(दफ्तरी)	समूह ग	1
		परिचारी, (चपरासी/आदेशपाल)	समूह ग	2
6	कम्प्यूटर सेल (संगणक कोषांग)	प्रोग्रामर (ग्रेड–I)	समूह ग	1
		सहायक प्रोग्रामर (ग्रेड–II)	समूह ग	1
		संगणक सहायक (ग्रेड–III)	समूह ग	2
		डाटा इन्ट्री आपरेटर	समूह ग	4

Note: ' जिस जिले में न्यायालयों की संख्या और लंबित मामले कम हैं, वहाँ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यक्रम (प्रोग्राम) अधिकारी, जन संम्पर्क अधिकारी एवं लेखा अधिकारी के पद सृजित नहीं किए जा सकते हैं।

--नकलखाना लिपिक/नकलकर्त्ता, सहायक अभिलेख संधारक, सहायक लेखापाल, स्टेशनरी लिपिक (ग्रेड–III), लेखा सहायक सह विपत्र लिपिक की संख्या में वृद्धि संबंधित जिले के कार्यभार के आधार पर जिला न्यायाधीश की अनुशंसा पर माननीय उच्च न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त होने पर की जा सकती है।

** जिला न्यायाधीश की अनुशंसा और माननीय उच्च न्यायालय की स्वीकृति पर रात्रि प्रहरी के पदों में वृद्धि भवनों की संख्या और आकार के आधार पर की जा सकती है।

˜ सहायक प्रोग्रामर, संगणक सहायक और डाटा इन्ट्री आपरेटर के पदों की संख्या में माननीय उच्च न्यायालय के अनुमति पश्चात् लंबित याचिकाओं की संख्या, याचिकाओं के दायर होने की संख्या और न्यायालयों की संख्या के आधार पर वृद्धि की जा सकती हैं

˜ फाइल के न्यायालय प्रबन्धन के मामले में, जहाँ फाइलों की संख्या 1000 से ज्यादा है, एक कनीय कार्यालय सहायक और एक चपरासी के पद में तदनुसार वृद्धि की जाएगी।

:– व्यवहार न्यायालय या अनुमण्डलीय न्यायालय में, जैसा भी मामला हो, यदि ओदेशिकाओं की संख्या एक महीने में 500 से ज्यादा तामील कराना है, तो हर अतिरिक्त 500 आदेशिकाओं पर तदनुसार एक अतिरिकत आदेशिका तामीलकर्त्ता (प्रोसेस सर्वर) की संख्या में वृद्धि की जाएगी।

:– माली, फराश और स्वीपर के पदों की स्वीकृति एक विशेष न्यायमंडल में क्षेत्रफल, न्यायालयों की संख्या और भवन के अनुसार होगी।

अनुसूची – 'ग'

व्यवहार न्यायालय का याजकतंत्र

मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी–सह–जिला न्यायधीश–मुख्य सिरेस्तेदार

ग्रेड–ख

इनका चयन प्रशासनिक पदाधिकारी अनुभव राज्य सरकार के कालावधी के अनुसार हो, या सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी (न्यायिक अथवा स्थापना) या लेखा पदाधिकारी या प्रोग्राम पदाधिकारी अनुभव राज्य सरकार के कालावधी के अनुसार हो, में से साक्षात्कार के आधार पर होगा।

भाग – I
न्यायिक पक्ष प्रशासन

प्रशासनिक पदाधिकारी (न्या०)–सह जिला न्या० सिरेस्तेदार (ग्रुप ख)
इनका चयन कार्यालय स०प्र०प० (न्या०) स०प्र०प० (गो०) जा उन कार्यालयों में अनुभव राज्य सरकार के कालावधी के अनुसार हो, में से साक्षात्कार के आधार पर केंद्रीयकृत समिति के द्वारा किया जाएगा ।

सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी–सह–(न्यायिक–सह–सिरेस्तेदार)
इनका चयन वरीय न्यायालय सहायक/वरीय कार्यालय सहायक–ग्रेड1 में से होगा।

वरीय न्यायालय सहायक / वरीय कार्यालय सहायक ग्रेड–1
इनका प्रोन्नति न्यायालय सहायक / कार्यालय सहायक ग्रेड–2 में से होगा।

कनीय न्यायालय सहायक/कनीय कार्यालय सहायक
इनकी प्रोन्नति न्यायालय सहायक/कार्यालय सहायक/लिपिक/टकक/रीडर–सह–डिपोजि ान राठटर और अन्य सहायाकों जो वर्ग –3 में अलग–अलग नामों से पुकारे जाते हैं, में से होगा।

सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी (गापनिय)
इनका चयन आ ुलिपिक ग्रेड–1 एवं निजी सहायक में से होगा।

आशुलिपिक –ग्रेड–1 एवं निजी सहायक
इनका चयन आ ुलिपिक ग्रेड–II में से होगा।

आशुलिपिक –ग्रेड–2
इनकी नियुक्ति आशुलिपिक ग्रेड– III में से होगी।

भाग – II
स्थापना एवं प्रशासन नजारत पक्ष

सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी (स्थापना)
इनका चयन कार्यालय अधीक्षक, वरीय कार्यालय सहायक अनुभव राज्य सरकार के कालावधी के अनुसार हो,, में से केंद्रीयकृत समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर होगा ।

कार्यालय अधीक्षक/मुख्य अभिलेख संधारक /मुख्य नकल लिपिक (
सहायक/लिपिक में से प्रोन्नति द्वारा चयन)

कार्यालय सहायक/मुख्य अभिलेख संधारक/नकल नवीस
इनकी प्रोन्नति सहायक ग्रेड–II लिपिक मे से होगीं

उच्च वर्गीय लिपिक (लिपिक–सह–टंकक एवं अन्य लिपिक ग्रेड–III)
(75 % सीधी नियुक्ति से एवं 25 % प्रोसेस सर्वर (आदेशिका तामिल कर्त्ता), दफ्तरी, चालक एवं अन्य कर्मचारी)

सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी (नजारत)
इनका चयन न्यासन पदाधिकारी (प्रोटोकोल अफसर) कार्यालय अधीक्षक, वरीय कार्यालय सहायक एवं व० न्यायालय सहायक अनुभव राज्य सरकार के कालावधी के अनुसार हो, में से साक्षात्कार के आधार पर होगा।

न्यासन पदाधिकारी (प्रोटोकोल अफसर)
उपरोक्त पद पर चयन बैलिफ, नायब नाजिर एवं सहायक में से होगा, अनुभव राज्य सरकार के कालावधी के अनुसार हो,

प्रमुख लिपिक (हेड कर्लक) (नायब नाजिर)
प्रोन्नति रोकड़िया/बैलिफ एवं अन्य कर्मचारियों में से ।

रोकड़िया/ बैलिफ
प्रोसेस सर्वर से प्रोन्नत के आधार पर

भाग – III
ICT प्रशासन

प्रोग्राम पदाधिकारी–सह–व० प्रोग्रामर
इस पद पर चयन, प्रोग्रामर अिनुभव राज्य सरकार के कालावधी के अनुसार हों, में से, केन्द्रीयकृत समिति द्वारा योग्यता–सह–वरीयता के आधार पर होगा।

प्रोग्रामर
केन्द्रीयकृत समिति द्वारा प्रोन्नति, सहायक प्रोग्रामर, अिनुभव राज्य सरकार के कालावधी के अनुसार हो, में से दिया जाएगा।

सहायक प्रोग्रामर
25 % पद के कम्प्यूटर सहायक अिनुभव राज्य सरकार के कालावधी के अनुसार हो, प्रोन्नति से भरे जायेंगें। 75 % पद सीधी नियुक्ति से।

भाग – IV
पुस्तकालय एवं सूचना प्रशासन

जन संपर्क पदाधिकारी–सह–सूचना पदाधिकारी
पुस्ताकलय अध्यक्ष (लाइब्रेरियन) अथवा प्रोग्रामर अथवा न्यासन पदाधिकारी, अनुभव राज्य सरकार के कालावधी के अनुसार हो, में से चयन होगा।

पुस्तकालय अध्यक्ष
इस पद पर प्रोन्नति, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर अनुभव राज्य सरकार के कालावधी के अनुसार हो,

सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष
पर प्रोन्नति पुस्तकालय सहायक अनुभव राज्य सरकार के कालावधी के अनुसार हो,

भाग – V
लेखा प्रशासन

लेखा पदाधिकारी
लेखाकार में सेवा का अनुभव राज्य सरकार के कालावधी के अनुसार हो, में से योग्यता सह वरीयता के आधार पर

लेखापाल
सहायक लेखापाल में योग्यता व सहायक लेखापाल जिसमें अनुभव राज्य सरकार के कालावधी के अनुसार हो, से पदोन्नति कर, योग्यता–सह–वरीयता के आधार पर

सहायक लेखापाल
(1) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती
(2) 50 प्रतिशत लेखा सहायक से प्रोन्नति के आधार पर

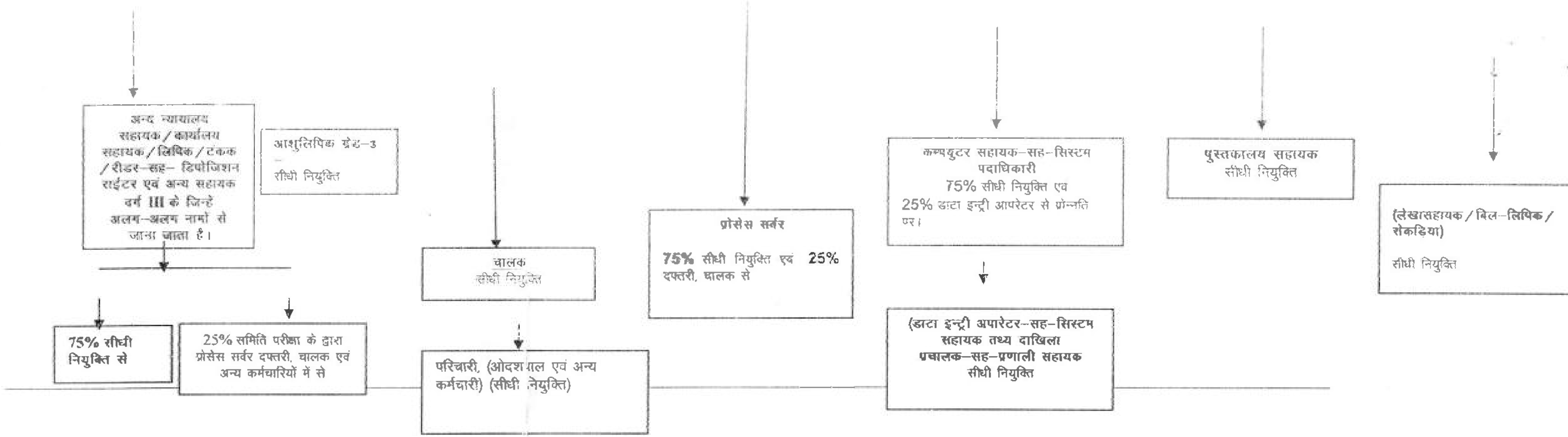

अन्य न्यायालय सहायक/कार्यालय सहायक/लिपिक/टंकक/रीडर-सह- डिपोजिशन राईटर एवं अन्य सहायक वर्ग III के जिन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है।
आशुलिपिक ग्रेड-3 - सीधी नियुक्ति
75% सीधी नियुक्ति से
25% समिति परीक्षा के द्वारा प्रोसेस सर्वर दफ्तरी, चालक एवं अन्य कर्मचारियों में से
चालक सीधी नियुक्ति
परिचारी, (ओदशपाल एवं अन्य कर्मचारी) (सीधी नियुक्ति)
प्रोसेस सर्वर
75% सीधी नियुक्ति एवं 25% दफ्तरी, चालक से
कम्प्युटर सहायक-सह-सिस्टम पदाधिकारी
75% सीधी नियुक्ति एव
25% डाटा इन्ट्री आपरेटर से प्रोन्नति पर।
(डाटा इन्ट्री अपारेटर-सह-सिस्टम सहायक तथ्य दाखिला प्रचालक-सह-प्रणाली सहायक
सीधी नियुक्ति
पुस्तकालय सहायक
सीधी नियुक्ति
(लेखासहायक/बिल-लिपिक/रोकड़िया)
सीधी नियुक्ति

अनुसूची–घ

प्रोसेस सर्वर एवं अन्य समुह–ग पदो के लिए

I. लिखित जाँच: - कुल -85 अंक न्यूनतम अर्हतांक – 34 अंक

1. हिन्दी - 30 अंक
2. अंग्रेजी - 30 अंक
3. गणित- 25 अंक

टिप्पणी: - सभी प्रश्न दसवीं वर्ग स्तर के होगें.

II. साक्षात्कार - **15 अंक** **न्युनतम अर्हतांक – 5 अंक**

(i) सामान्य आविर्भाव - 2.5 अंक (ii) योग्यता – 2.5 अंक

(iii) अनुभव – 5 अंक (iv) काम की जानकारी – 5 अंक

चालक के लिए (समुह–ग)

I. लिखित परीक्षा: - **कुल -40 अंक न्युनतम अर्हतांक – 16 अंक**

1. हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित - 20 अंक
2. यातायात चिन्हों की ज्ञान- 10 अंक
3. यातायात नियमों की ज्ञान - 10 अंक

टिप्पणी: - सभी प्रश्न दसवीं वर्ग स्तर के होगें.

II. वाहन चालन - **50 अंक** **न्युनतम अर्हतांक –20 अंक**

(i) निपुणता - 30 अंक (ii) वाहन के हिस्सों की पहचान – 10 अंक

(iii) तकनीकी ज्ञान – 10 अंक.

III. साक्षात्कार :– **10 अंक** **न्युनतम अर्हतांक – 4 अंक**

(i) सामान्य आविर्भाव - 2.5 अंक (ii) योग्यता – 2.5 अंक

(iii) अनुभव – 2.5 अंक (iv) काम की जानकारी – 2.5 अंक

दफतरी के लिए

I. लिखित परीक्षा: - **कुल - 45 अंक** न्युनतम अर्हतांक – **18 अंक**

1. हिन्दी - 15 अंक
2. अंग्रेजी - 15 अंक
3. गणित- 15 अंक

II. निपुणता परीक्षा- **45 अंक** **न्युनतम अर्हतांक – 18 अंक**
(i) बाइंडिंग / जिल्दसाजी - 15 अंक (ii) पेस्टिंग / साटना- 15 अंक (iii) सिलिंग / मुहरबंद करना - 15 अंक.

III. साक्षात्कार - **10 अंक** **न्युनतम अर्हतांक – 4 अंक**
(i) सामान्य आविर्भाव - 2.5 अंक (ii) योग्यता – 2.5 अंक
(iii) अनुभव – 2.5 अंक (iv) कार्य की जानकारी – 2.5 अंक

परिचारी (आदेशपाल/चपरासी) के लिए

I. लिखित जाँच: - कुल -85 अंक न्यूनतम अर्हतांक – 30 अंक

1. हिन्दी - 35 अंक
2. अंग्रेजी - 15 अंक
3. गणित- 35 अंक

टिप्पणी: - सभी प्रश्न दसवीं वर्ग स्तर के होगें.

II. साक्षात्कार - **15 अंक** न्युनतम अर्हतांक **– 6 अंक**

(i) सामान्य आविर्भाव - 2.5 अंक (ii) योग्यता – 2.5 अंक

(iii) अनुभव – 5 अंक (iv) कार्य की जानकारी – 5 अंक

टिप्पणी:– 10 अंकों का अतिरिक्त अधिमानता उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो खाना बनाने में विशेष निपुणता रखते हो या जो बिजली मिस्त्री, बढ़ई, नाई, प्लम्बर/नलसाज और माली के रूप में अर्हतांक नहीं प्राप्त कर सकें हों।

रात्रि प्रहरी/सुरक्षा प्रहरी

I. लिखित जाँच: - कुल -85 अंक न्यूनतम अर्हतांक – 34 अंक

1. हिन्दी - 35 अंक
2. अंग्रेजी - 15 अंक
3. गणित- 35 अंक

टिप्पणी: - सभी प्रश्न दसवीं वर्ग स्तर के होगें.

II. साक्षात्कार - **15 अंक** न्युनतम अर्हतांक **– 6 अंक**

(i) सामान्य आविर्भाव - 2.5 अंक (ii) योग्यता – 2.5 अंक

(iii) अनुभव – 5 अंक (iv) कार्य की जानकारी – 5 अंक

टिप्पणी:– 10 अंको का अतिरिक्त अधिमानता उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिनको सुरक्षा सेवा का अनुभव हो तथा अर्हतांक नहीं प्राप्त किया हो।

अनुसूची – ड़

नियुक्ति के लिए संभावित(Tentative) समय–सारणी

वर्ष के 31वीं दिसम्बर को रिक्ति की तिथि

रिक्तियों को भेजने की तिथि	–	वर्ष का 7वां जनवरी.
रिक्तियों की प्रक्रिया	–	वर्ष का 22वां जनवरी
विज्ञापन	–	प्रत्येक वर्ष का 1 मार्च
आवेदन प्राप्ति की तिथि	–	वर्ष का 1 अप्रेल तक
आवेदनों की जाँच		
प्रवेश–पत्र का निर्गत करना	–	वर्ष का 1 मई
परीक्षा तिथि	–	वर्ष का 1 जून
परिणाम घोषित करने की तिथि	–	वर्ष का 1 जुलाई

चालन परीक्षा/निपुणता परीक्षा/साक्षात्कार –वर्ष का 7 जुलाई

अंतिम परिणाम घोषित करने की तिथि वर्ष का 22 जुलाई